राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़

क्रमांकः 2023/1793 दिनांक : 08/8/23

-: विज्ञप्ति :-

श्रीमान् निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांकः- अराज/यूटीबी / 2023/392 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा दिए गये निर्देशो में झालावाड़ जिले में उपलब्ध पैरामेडिकल एवं फार्मासिस्ट संवर्ग के स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यकता के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा रिक्त पदो पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियम 1965 एवं राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानानुसार आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीबी) पर जिला स्वास्थ्य समिति झालावाड़ के माध्यम से विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.10.2014 एवं 09.11.2017 एवं यूटीबी के संबंध में निम्नानुसार निर्धारित शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की गई हैं। यूटीबी आधार पर पैरामेडिकल एवं फार्मासिस्ट संवर्ग के रिक्त पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यार्थियों से विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से दिनांक 23.08.2023. सायं 06.00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, झालावाड में ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	पदनाम	कुल रिक्त पदों का विवरण एवं मानदेय	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
01	फार्मासिस्ट	रिक्त पद - 12 मानदेय 33800 /-	12वीं विज्ञान वर्ग एवं बी फार्मा या डी. फार्मा या एम. फार्मा एवं राजस्थान फार्मेसी कॉन्सलिंग से प्राप्त वेद्य पंजीयन पत्र
02	लैब टेक्निशियन	रिक्त पद - 15 मानदेय 26300/-	12वीं विज्ञान वर्ग एवं डी.एम.एल.टी. राजस्थान पैरामेडिकल कॉन्सलिंग से प्राप्त वेद्य पंजीयन पत्र
03	सहा. रेडियोग्राफर	रिक्त पद - 25 मानदेय 26300 /-	12वीं विज्ञान वर्ग एवं डिप्लोमा / डिग्री रेडियोग्राफी के क्षेत्र में एवं राजस्थान पैरामेडिकल कॉन्सलिंग से प्राप्त वेद्य पंजीयन पत्र

नोटः- जिले में समान नियोजन की प्रक्रिया अपनाये जाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. यूटीबी आधार पर पैरा मेडिकल / फार्मासिस्ट स्टाफ को वित्त विभाग से निर्धारित दर पर प्रतिमाह मानदेय।
2. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी समय-समय पर नियमों/आदेशों/परिपत्रों आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी।
3. यूटीबी आधार पर उक्त पदों को भरे जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 तथा समय-सयम पर संशोधित नियम तथा अन्य भर्ती नियमों के साथ जिले में उपलब्ध रिक्तियों को आधार मानते हुऐ आरक्षण एवं आयु सीमा के नियमों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी।
4. पैरा मेडिकल / फार्मासिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत एवं तकनीकी योग्यता का प्रतिशत एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा।
5. चयन सूची में स्थानीय अभ्यार्थियों को वरियता दी जाऐंगी तथा विज्ञापित पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।
6. उक्त विज्ञप्ति के सम्बंध में अधिक / विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय झालावाड़ में कार्यालय समय में सम्पर्क करें।

(डॉ. जी. एम. सैय्यद)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी